विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 1308/वि0स0/प0का0/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-अयोध्या, 276 गोसाईगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे,

और, चूंकि, श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-276 गोसाईगंज को विशेष आपराधिक वाद संख्या-3012/2018 मु0अ0सं0-24/1992 धारा-420/468/471 भादवि में दिनांक 18-10-2021 को मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0), अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3, फैजाबाद द्वारा धारा-420 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 6000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा-468 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कारावास व 8000/- रुपये अर्थदण्ड तथा धारा-471 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये से दण्डित किया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से निरर्ह माने जायेंगे ;

WWW.LIVELAW.IN

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी का उक्त स्थान दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)

अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–3 फैजाबाद ।

उपस्थित– श्रीमती पूजा सिंह,

एच०जे०एस०

जे०ओ०कोड–यू०पी०–2180

विशेष आपराधिक वाद सं० 3012 सन् 2018

सी०एन०आर०नं०–UPFZ010090282018

सरकार **बनाम** 1. फूल चन्द्र यादव पुत्र तिलक राम, निवासी अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

2. कृपानिधान तिवारी पुत्र सियाराम, निवासी बहोरनपुर, थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद।

3. इन्द्र प्रताप तिवारी पुत्र कृष्ण गोपाल, निवासी बरईपारा, थाना महराजगंज, जिला फैजाबाद।

अपराध संख्या **24 सन् 1992**

धारा–420,468,471भा.दं.सं.

थाना–राम जन्म भूमि, जिला फैजाबाद ।

निर्णय

1– अभियुक्तगण **फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी** का विचारण धारा 420,468,471भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध संख्या 24 सन् 1992, थाना राम जन्म भूमि, जिला फैजाबाद में विवेचक द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोपपत्र के आधार पर किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रधानाचार्य का०सु०साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,फैजाबाद यदुवंश राम त्रिपाठी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को पत्रांक 44/पुलिस/आ०लि०/91–92, दिनांकित 16–02–92 इस आशय का प्रेषित किया गया कि ''मैने अपने पत्रांक 43/पुलिस/आ०लि०/91–92 दिनांक 14–02–92 में जिन तीन व्यक्तियों के विषय में यह लिखा है कि उन्होंने फर्जी अंक पत्रों के आधार पर महाविद्यालय में पिछले वर्षों में प्रवेश प्राप्त कर लिया था जिनमें फूल चन्द्र यादव पुत्र तिलकधारी यादव बी०एस–सी० भाग एक परीक्षा 1986 अनुक्रमांक 60999 मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे और बैक पेपर परीक्षा के उपरान्त भी अनुत्तीर्ण रहे जिस कारण वे बी०एस–सी० भाग दो में प्रवेश योग्य नहीं थे परन्तु उन्होंने विश्वविद्यालय

द्वारा निर्गत बैक पेपर परीक्षाफल पत्रक पर हेर–फेर कर धोखाधड़ी और षडयन्त्र के आधार पर उत्तीर्ण होने का अंक पत्र प्राप्त कर लिया। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत बैक पेपर परीक्षा 1986 परीक्षाफल का संबंधित पत्र जिसपर हेर–फेर किया गया है की छाया प्रति संलग्न है। इसी आधार पर उन्होंने सन 1986–87 में बी०एस–सी० भाग दो की कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। उनके प्रवेश प्रार्थनापत्र जिसपर तत्कालीन प्राचार्य ने प्रवेश की स्वीकृति दी है,की भी एक फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

श्री इन्द्र प्रताप तिवारी पुत्र श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने बी०एस–सी० भाग दो 1990 परीक्षा भूतपूर्व छात्र के रूप में महाविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक 4263 पर दी और अनुत्तीर्ण रहे। भूतपूर्व छात्रों का अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। अनुत्तीर्ण होने के बावजूद श्री इन्द्र प्रताप तिवारी ने विश्वविद्यालय द्वारा तथाकथित रूप से निर्गत अंकपत्र दिनांकित 08–12–90 प्रस्तुत कर बी०एस–सी० भाग तीन सत्र 1990–91 में प्रवेश प्राप्त कर लिया। इस अंकपत्र की एक फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। जब यह तथ्य प्रकाश में आया तो उन्हें नोटिस दी गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतः बी०एस–सी० भाग तीन में उनको दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया गया और महाविद्यालय छात्रसंघ के मंत्री पद पर हुआ उनका चुनाव भी अवैध घोषित कर दिया गया। इस आदेश की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

श्री कृपा निधान तिवारी ने एल०एल०बी० भाग एक की परीक्षा 1989 में महाविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक 51570 पर दी और अनुत्तीर्ण रहे इसके बावजूद तथाकथित रूप से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उत्तीर्ण होने का अंकपत्र दिखाकर धोखे से इन्होंने एल०एल०बी० भाग दो सत्र 1989–90 में 11–03–91 को प्रवेश प्राप्त कर लिया। श्री कृपा निधान तिवारी द्वारा प्रस्तुत अंकपत्र एवं प्रवेश आवेदन पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। इसकी जानकारी जब मुझे हुई तब इन्हें नोटिस दी गयी। कोई उत्तर न मिलने पर इनका एल०एल०बी० भाग दो में किया गया प्रवेश निरस्त कर दिया गया।

WWW.LIVELAW.IN

उक्त तीनों व्यक्तियों श्री फूल चन्द्र यादव,श्री इन्द्र प्रताप तिवारी तथा श्री कृपा निधान तिवारी ने जालसाजी किया है और जालसाजी के आधार पर महाविद्यालय प्रशासन को धोखा देकर प्रवेश प्राप्त किया। अतः उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– वादी के उक्त प्रार्थनापत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 18–02–92 को थानाध्यक्ष आर.जे.बी. को तुरन्त उपयुक्त कानूनी कार्यवाही कर आख्या देने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 18–02–92 को थानाध्यक्ष आर.जे.बी. ने हेड मोहर्रिर को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया जिसके अनुपालन में उक्त तिथि को 20.30 बजे, थाना आर.जे.बी., जिला फैजाबाद में अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, इन्द्र प्रताप तिवारी व कृपा निधान तिवारी के विरूद्ध अपराध सं० 24/92, धारा 420,467,468,471 भा० दं० सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ किया और दौरान विवेचना

साक्षियों का बयान अंकित किया एवं विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी व इन्द्र प्रताप तिवारी के विरूद्ध धारा 468, 471, 420 भा० दं० सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया।

4– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 11371/मेन–बी (एम.पी./एम. एल. ए./ एडमिन ए–3/इलाहाबाद दिनांकित 22–08–2019) के अनुपालन में पत्रावली विशेष न्यायाधीश एम०पी०/एम०एल०ए०, इलाहाबाद से अन्तरित होकर प्राप्त हुई।

5– अभियुक्तगण उपस्थित आए, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 468, 471, 420 भा० दं० सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना किया।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०–1 महेन्द्र कुमार अग्रवाल, पी०डब्लू०–2 राम बहादुर सिंह एवं पी०डब्लू०–3 श्रीकान्त पाठक को परीक्षित किया गया तदुपरान्त अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य समाप्त की गई।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 1 महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि विद्यालय के कार्यालय में मेरी नियुक्ति दिनांक 01–10–1966 को हुई थी। वर्ष 1992 में मेरे महाविद्यालय के प्राचार्य डा० यदुवंश राम त्रिपाठी थे। वर्ष 1992 में मैं महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहा था। उस समय एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में कृपा निधान तिवारी अध्ययनरत थे और कार्यालय में उपस्थित सारिणीयन पंजिका के अनुसार सातों प्रश्नपत्रों में कुल 120 नम्बर पाये थे और फेल थे। इसी तरह उस समय में अध्ययनरत छात्र इन्द्र प्रताप तिवारी व फूल चन्द्र यादव भी सारिणीयन पंजिका के अनुसार फेल थे। दरोगा मुझसे पूछ ताछ करने महाविद्यालय आये थे तो उन्हें मैने सारिणीयन पंजिका दिखाया था। मैं उस समय के प्राचार्य डा० यदुवंश राम त्रिपाठी के लेख व हस्ताक्षर से परिचित हूं। शामिल पत्रावली कागज सं० 4 अ/6 व 6 अ/1 ता 6 अ/3 व 6 अ/5 ता 6 अ/7 पर यदुवंश राम त्रिपाठी के हस्ताक्षर हैं इनकी मैं पुष्टि करता हूं। इनपर क्रमशः प्रदर्श क–1 ता प्रदर्श क–7 डाला गया। इन तीनों छात्रों ने फर्जी अंकपत्र के सहारे आगे कक्षाओं में प्रवेश ले लिया था। विवेचक ने मुझसे पूछ–ताछ किया था। मैने उन्हें सारणीयन पंजिका जो महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध थी के अनुसार जानकारी दिया था व दिखाया था। मेरे साथ कार्यालय सहायक के पद पर उस समय नियुक्त गुरू चरन यादव की मृत्यु हो चुकी है जो मेरी जानकारी में है।

WWW.LIVELAW.IN

8– साक्षी पी0 डब्लू0 2 राम बहादुर सिंह ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि मैं वर्ष 1992 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में वरिष्ठ सहायक,गोपनीय के पद पर कार्यरत था। का०सु०साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या,फैजाबाद के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी के द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत तीन छात्र फूल चन्द्र यादव,इन्द्र प्रताप तिवारी व कृपा निधान तिवारी से संबंधित परीक्षाफलों की

जानकारी विश्वविद्यालय से मांगा गया था जिसका मैने कार्यालय में उपस्थित रिकार्ड देखकर सत्यापन कर महाविद्यालय को भेज दिया था। मेरे द्वारा भेजे गये सत्यापन प्रपत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या 6अ/1 ता 6अ/3 व 6अ/6 एवं 6अ/7 हैं जिनकी मैं पुष्टि करता हूं।

9– साक्षी पी0 डब्लू0 3 श्रीकान्त पाठक ने मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि हेड मोहर्रिर शिवाजी मेरे साथ जनपद फैजाबाद व बाराबंकी में तैनात थे। मैनें उन्हें लिखते पढ़ते हुए देखा है,मैं उनके लेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूं। शामिल मिसिल कागज संख्या 4अ/1 व 4अ/2 हेड मो० शिवाजी मिश्र के लेख व हस्ताक्षर में है इसकी मैं पुष्टि करता हूं। इसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। साक्षी ने यह भी कथन किया कि उप निरीक्षक राम चन्द्र सिंह मेरे साथ जनपद गोण्डा में कार्यरत थे,मैने उन्हें लिखते पढ़ते हुए देखा है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचत हूं। कागज सं० 3अ/1 आरोपपत्र संख्या 11 दिनांकित 22–01–96 संलग्न पत्रावली एस०आई० राम चन्द्र के लेख व हस्ताक्षर में है इसकी मैं पुष्टि करता हूं इस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

10– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षीगण द्वारा रंजिशन झूठा साक्ष्य दिया जाना कहा है एवं यह भी कथन किया गया कि राजनैतिक कारणों से फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, वे निर्दोष हैं।

11– अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य न देने का कथन किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

12– पक्षों के विद्वान अधिवक्तगण की सारगर्भित बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन सुनिश्चित किया गया।

13– बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई–

1. मो० अबुलास खान बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य 2007(2) जे.आई.सी.91 (इला.)
2. मोहम्मद हुसैन एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2015(1)जे.आई.सी. 714(इला.)
3. शीला सबस्टाइन बनाम आर. जवाहराज एवं अन्य 2018(2)जे.आई.सी. 925 (एस.सी.)
4. मोहम्मद यासीन बनाम स्टेट आफ यू.पी.एवं अन्य 2016(3)यू.पी.सीआर.आर. 531
5. अजय नारायण राम बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2014(1)जे.आई.सी. 962(इला.)(एल.बी.)

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा ससम्मान अध्ययन किया गया।

14– प्रश्नगत प्रकरण में जिस सत्यता का निरूपण किया जाना है वह दस्तावेजों पर आधारित है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिनमें प्रथम अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 महेन्द्र कुमार अग्रवाल तत्समय कामता प्रसाद सुन्दर लाल पी०जी० कालेज,फैजाबाद (अयोध्या) में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को उजागर किया है कि ''उस समय एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में कृपा निधान तिवारी अध्ययनरत थे

और कार्यालय में उपस्थित सारणीयन पंजिका के अनुसार सातों प्रश्नपत्रों में कुल 120 नम्बर पाए थे और फेल थे। इसी तरह उस समय महाविद्यालय में अध्ययन रत छात्र इन्द्र प्रताप तिवारी व फूल चन्द्र यादव भी सारणीयन पंजिका के अनुसार फेल थे।'' इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में आगे यह भी कहा गया है कि ''इन तीनों छात्रों ने फर्जी अंकपत्र के सहारे आगे कक्षाओं में प्रवेश ले लिया था।''

15– बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्ष्झी संख्या 1 महेन्द्र कुमार अग्रवाल से विस्तृत जिरह की गई। दौरान जिरह बचाव पक्ष द्वारा यह तथ्य कि अभियुक्तगण कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, को नासाबित नहीं किया जा सका।

16– अभियोजन साक्षी संख्या 2 के रूप में राम बहादुर सिंह को परीक्षित किया गया है जो तत्समय अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में वरिष्ठ सहायक गोपनीय के पद पर कार्यरत थे। इनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि ''मैं वर्ष 1992 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में वरिष्ठ सहायक,गोपनीय के पद पर कार्यरत था। कामता प्रसाद सुन्दर लाल पी०जी० कालेज,फैजाबाद (अयोध्या) के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी के द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत तीन छात्र फूल चन्द्र यादव,इन्द्र प्रताप तिवारी व कृपा निधान तिवारी से संबंधित परीक्षाफलों की जानकारी विश्वविद्यालय से मांगा गया था जिसका मैने कार्यालय में उपस्थित रिकार्ड देखकर सत्यापन कर महाविद्यालय को भेज दिया था। मेरे द्वारा भेजे गये सत्यापन प्रपत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या 6 अ/1 ता 6 अ/3 व 6 अ/6 एवं 6 अ/7 हैं जिनकी मैं पुष्टि करता हूं।''

17– यद्यपि इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कागज संख्या 6 अ/1 लगायत 6 अ/7 को महाविद्यालय को भेजने की पुष्टि की गई है परन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्ष्य का पूर्ण रूपेण समर्थन नहीं किया गया है।

WWW.LIVELAW.IN

18– अभियोजन साक्षी संख्या 3 के रूप में श्रीकान्त पाठक जो कि औपचारिक साक्षी है के द्वारा अपना साक्ष्य दिया गया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को द्वितीयक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा हेड मोहर्रिर शिवाजी मिश्रा एवं विवेचक राम चन्द्र सिंह के साथ कार्य करने एवं उनके लेख एवं हस्ताक्षर को जानने एवं पहचानने का कथन करते हुए अभियोजन प्रपत्र संलग्न पत्रावली कागज संख्या 4 अ/1 नकल चिक को प्रदर्श क–8 एवं कागज संख्या 3 अ/1 आरोपपत्र संख्या दिनांक 22.01.1996 को प्रदर्श क–9 के रूप में पुष्ट एवं प्रमाणित किया गया है। इसके द्वारा बचाव पक्ष के इस कथन का भी प्रतिकार अपनी जिरह में इस प्रकार किया गया है कि ''यह कहना गलत है कि राम चन्द्र सिंह के लेख गलत है। यह कहना गलत है कि शवाजी मिश्रा मेरे साथ कहीं तैनात नहीं थे,मैने उनके लेख व हस्ताक्षर की गलत पहचान किया है।''

19– अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने कथन किया कि राजनैतिक कारणों से फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है।

20– चूंकि प्रकरण धारा 420,468,471 भा०दं०सं० का है अतः सर्व प्रथम इन प्राविधानों का अवलोकन समीचीन है जो इस प्रकार है–

धारा 420 भा०दं०सं० प्रावधानित करती है कि–

''**420. छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना–** जो कोई छल करेगा,और तद्द्वारा उस व्यक्ति को,जिसे प्रवंचित किया गया है,बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे,या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को,या किसी चीज को,जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है,और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है,पूर्णतः या अंशतः रच दे,परिवर्तित कर दे,या नष्ट कर दे,वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

21– चूंकि धारा 415 भा०दं०सं० में इसके आवश्यक तत्व मौजूद हैं अतः धारा 415 भा०दं०सं० को उद्धृत किया जाना समीचीन है–

415. छल–जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को,जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है,कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे,या वह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को,जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है,उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे,या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो,न करता,या करने का लोप न करता,और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक,मानसिक,ख्याति सम्बन्धी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है,या कारित होनी सम्भाव्य है,वह ''छल'' करता है, यह कहा जाता है।

468 छल के प्रयोजन से कूट रचना– जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि (वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख,जिसकी कूटरचना की जाती है,)छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी,वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से,जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी,दण्डनीय होगा।

471. कूटरचित(दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख) का असली के रूप में उपयोग में लाना– जो कोई किसी ऐसी (दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख)को,जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित(दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख) है,कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा,वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा,मानो उसने ऐसी (दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख) की कूटरचना की हो।

WWW.LIVELAW.IN

22– चूंकि इसके आवश्यक तत्व उपर्युक्त धाराओं में मौजूद हैं अतः धारा 463 व 464 का अवलोकन किया जाना भी महत्वपूर्ण है–

463.कूट रचना– (जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाय)या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए,या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे,या कपट किया जा सके,वह कूट–रचना करता है।

464. मिथ्या दस्तावेज रचना– [उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचता है–

पहला– जो बेईमानी से या कपट पूर्वक इस आशय से–

(क) किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचित,हस्ताक्षरित,मुद्रांकित या निष्पादित करता है,

(ख)किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख या किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या प्रेषित

करता है,

(ग)किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई (इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर)करता है,

(घ)दस्तावेज का निष्पादन या (इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर)की प्रामाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है,

कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग,इलेक्ट्रानिक अभिलेख या (इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर) की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, प्रेषण, ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था,जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था ;अथवा

दूसरा– जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं,उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रचित,निष्पादित या (इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर) किये जाने के पश्चात उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना,बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है,अथवा

तृतीय– जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को या परिवर्तन के रूप को,चित्तविकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस प्रवंचना के कारण,जो उससे की गयी है,जानता नहीं है,उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित,मुद्रांकित,निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर(इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर) कराया जाना कारित करता है।]

23– चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा तीन अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 1 द्वारा घटना के समर्थन का प्रयास किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के समर्थन का प्रयास किया गया है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 द्वारा औपचारिक साक्ष्य दिया गया है। अतः इस स्तर पर विधि की मंशा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से विरचित करने की आवश्यकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1871 की धारा 134 इस प्रकार है–

WWW.LIVELAW.IN

134. साक्षियों की संख्या– किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

24– **राज नारायन सिंह बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2009 (67) ए. सी. सी. 288(एस.सी.)** की नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया है कि फौजदारी विचारण की प्रक्रिया में साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है न कि उसकी संख्या/परिमाण महत्वपूर्ण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की किसी संख्या का प्राविधान नहीं करती है। गवाहों की कोई विशेष संख्या का होना यह विधायिका का आशय नहीं है। यदि किसी एक गवाह द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो एक ही साक्षी की परिसाक्ष्य पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है।

25– अतः इस न्यायालय को घटना के तथ्यों का निरूपण साक्ष्य के आधार पर करना है। जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि प्रस्तुत प्रकरण दस्तावेजों से

संबंधित आरोपों से है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनयम की धारा 35 के अन्तर्गत किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक,रजिस्टर या (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख)में की गई प्रविष्टि,जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की,जिसमें ऐसी पुस्तक,रजिस्टर या (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख)रखा जाता है,विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है,स्वयं सुसंगत तथ्य है।

26– इस संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 उल्लेखनीय है जो यह कहती है कि–

102. सबूत का भार किस पर होता है– किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जायेगा,यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाये।

27– यहां अभियोजन द्वारा दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य रखा गया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने अनुत्तीर्ण होने के बावजूद अभिलेखों में कूट रचना करके अगली कक्षाओं में प्रवेश लिया गया जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यह तथ्य एक सुसंगत तथ्य है। अतः इसको नासाबित करने का भार अभियुक्तगण पर था। जिसको अभियुक्तगण दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा साबित कर सकते थे जैसाकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 सपठित धारा 92 की मंशा है। चूंकि अभियुक्तगण द्वारा मूल तथ्य कि ''उनके द्वारा अनुत्तीर्ण अंकपत्रों को कूट रचित करके उनका दुर्विनियोग किया गया'',के आरोप को साक्ष्य के द्वारा नासाबित नहीं किया गया एवं इस तथ्य के बारे में बचाव पक्ष मौन रहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 एच प्रावधानित करती है कि–

WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय उपधारित कर सकेगा–

114(h) that if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, the answer, if give, would be unfavourable to him:

28– यद्यपि यह धारा उत्तर देने से इन्कार करने से संबंधित है परन्तु साक्ष्य अधिनियम की मंशा इस प्राविधान के अन्तर्गत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उत्तर उसके प्रतिकूल है।

29– बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों से प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक तथ्यों पर बल दिया गया तथा मूल तथ्य कि ''अभियुक्तगण द्वारा अंकतालिकाओं में कूट रचना की गई एवं उनके द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रवेश लिया गया।''संबंधी तथ्यों का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया और बचाव पक्ष के द्वारा साक्षियों से जिरह के दौरान अभियोजन कथानक को गलत सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रस्तुत प्रकरण

दस्तावेजों में कूट रचना के आरोपों से संबंधित है अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपरिलिखित प्राविधानों की मंशा के अनुरूप अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते थे जो कि उनके द्वारा नहीं किए गए हैं। इस तथ्य एवं प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित मूल आरोप अन्तर्गत धारा 420, 467, 471 भा०दं०सं० अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे साबित होना पाया गया।

30– बचाव पक्ष द्वारा एक तर्क यह दिया गया है कि अभियोजन प्रपत्रों को उनके निष्पादक साक्षियों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है और संलग्न प्रपत्र छाया प्रतियां हैं। इस संबंध में सुस्पष्ट है कि पत्रावली में प्रदर्श क–1 वादी मुकदमा की टाइप शुदा स्व हस्ताक्षरित तहरीर है जिसे पी०डब्लू०–1 महेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा प्रमाणित किया गया है। जब कि प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–7 तहरीर के साथ संलग्नक के रूप में अभियुक्तों से संबंधित विभिन्न प्रपत्रों की छाया प्रतियां हैं जिन्हें प्रदर्श क–1 तहरीर जो मूल रूप से प्रमाणित है,के साथ संलग्नक के रूप में पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार नकल चिक एवं आरोपपत्र भी ऐसे साक्षी के द्वारा धारा 65 एवं 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीयक साक्षी के रूप में निर्विवाद रूप से प्रमाणित किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने रामेश्वर दास बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य ए.आई.आर.2008 पृष्ठ 890** में अपना स्पष्ट अभिमत दिया है कि धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभिलेख को ऐसे साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है जो ऐसे अभिलेख के निष्पादक/लेखक की लिखावट से परिचित है। **श्रीमती सुधा अग्रवाल बनाम सप्तम् ए० डी० जे० गाजियाबाद 2006(63)एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था अनिल कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2003(3)ए.सी.सी. 569** पर विश्वास व्यक्त करते हुए यह प्रेषण किया गया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ''यदि दस्तावेज को साबित करते हुए साक्ष्य के माध्यम से उनपर प्रदर्श भी अंकित करा दिया गया हो और उसपर कोई आक्षेप बचाव पक्ष द्वारा न किया गया हो तब बाद में बचाव पक्ष उसपर साक्ष्य में ग्राह्यता का प्रश्न नहीं उठा सकता है तथा उक्त प्रपत्र भली भांति प्रमाणित माने जाएंगे।'' इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा पक्ष के इस तर्क को खण्डित करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 पर बल दिया गया है जो यह कहती है कि–

WWW.LIVELAW.IN

35.कर्तव्य पालन में की गई लोक (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख)की प्रविष्टियों की सुसंगति– किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक,रजिस्टर या (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख)में की गई प्रविष्टि,जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की,जिसमें ऐसी पुस्तक,रजिस्टर या (अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख)रखा जाता है,विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है,स्वयं सुसंगत तथ्य है।

उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा इस सुसंगत तथ्य को खण्डित करने हेतु किसी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा सका।

31– अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में स्वयं

को रंजिशन राजनैतिक कारणों से मुकदमा लिखाए जाने की बात कहकर फंसाया जाना कहा गया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां पर यह ध्यातव्य है कि वादी मुकदमा जिस महाविद्यालय का प्राचार्य था अभियुक्तगण उसके छात्र रहे हैं। एक महाविद्यालय के प्राचार्य की अपने महाविद्यालय के तीन छात्रों से कैसी रंजिश या राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता हो सकती है,यह एक यक्ष प्रश्न है।

32– बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं तथा प्रस्तुत मामले में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

33– अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी के संदर्भ में पत्रावली पर पर्याप्त मौखिक एव० दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर की गई उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्तगण का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है।

34– अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी पर प्रथम आरोप अन्तर्गत धारा 420 भा०दं०सं० के अधीन इस आशय का अधिरोपित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा महाविद्यालय में अगली कक्षा में कूट रचित अंकपत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर छल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी के द्वारा कूट रचित अंकतालिका प्रविष्टियों में परिवर्तन कर महाविद्यालय में प्रवेश लिया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण पर लगाए गए उक्त आरोप अन्तर्गत धारा 420 भा०दं०सं० युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है।

WWW.LIVELAW.IN

35– अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी पर एक अन्य आरोप धारा 468 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा का०सु०साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,थाना राम जन्म भूमि, जनपद फैजाबाद में क्रमशः अभियुक्त फूल चन्द्र यादव द्वारा बी.एस–सी० प्रथम वर्ष 1986 में अनुत्तीर्ण होने,अभियुक्त इन्द्र प्रताप तिवारी द्वारा बी०एस–सी० द्वितीय वर्ष 1990 में अनुत्तीर्ण होने तथा अभियुक्त कृपा निधान तिवारी द्वारा एल.एल.बी. प्रथम वर्ष 1989 में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद छल के प्रयोजन से उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का अंकपत्र तैयार कर कूट रचना की गई जो समस्त साक्ष्यों मौखिक एवं दस्तावेजी से उक्त अभियुक्तगण पर धारा 468 भा०दं०सं० का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित है।

36– अभियुक्तगण पर एक अन्य आरोप अन्तर्गत धारा 471 भा०दं०सं० के अधीन कूट रचित दस्तावेज को असल के रूप में बेईमानी से प्रयोग में लाने के लिए अधिरोपित किया गया है। समस्त साक्ष्य की विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्त फूल चन्द्र यादव ने कूट रचित अंकपत्र का असल के रूप मे प्रयोग करते हुए बी०–एस सी० द्वितीय वर्ष, इन्द्र प्रताप तिवारी ने कूट रचित अंकपत्र का असल के रूप में प्रयोग करते हुए बी०–एस सी० तृतीय वर्ष तथा कृपा निधान तिवारी ने कूट रचित अंकपत्र का असल के

रूप में प्रयोग करते हुए एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया। अभियुक्तगण का पूर्णतया बेईमानीपूर्ण आशय साक्ष्य से स्पष्ट होता है। अतः अभियुक्तगण पर लगाया गया उक्त आरोप भी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होता है।

37– उपरोक्त समस्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी भा०दं०सं० की धारा 420, 468, 471 के अधीन उनपर लगाए गए आरोपों के अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी उनपर लगाए गए उपरोक्त अपराधों के आरोपों में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

WWW.LIVELAW.IN

38– अभियुक्तगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है।

39– दण्ड के विन्दु पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश के उपरान्त पत्रावली पेश हो।

(पूजा सिंह)

दिनांक–18–10–2021

विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–3,
फैजाबाद।

लन्च बाद

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। दोषसिद्ध अपराधीगण न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

दण्ड के प्रश्न पर दोषिसिद्ध अपराधीगण व उनके अधिवक्ता को सुना। दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा यह कहा गया कि उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दोषसिद्ध अपराधीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने की याचना की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा फर्जी अंकपत्र बनाकर अगली कक्षाओं में प्रवेश लिया गया। उनका कृत्य गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त परिस्थिति में सिद्धदोष अपराधीगण को भा०दं०सं० की धारा 420 के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं मु० छः हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 468 के अन्तर्गत पांच वर्ष के साधारण कारावास व मु० आठ हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 471 के अन्तर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अपराधीगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी प्रत्येक को भा०दं०सं० की धारा 420 के आरोप में तीन वर्ष के कारावास एवं

मु० 6000/- (छः हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें 18 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अपराधीगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी प्रत्येक को भा०दं०सं० की धारा 468 के आरोप में पांच वर्ष के कारावास एवं मु० 8000/- (आठ हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें 20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अपराधीगण फूल चन्द्र यादव, कृपा निधान तिवारी तथा इन्द्र प्रताप तिवारी प्रत्येक को भा०दं०सं० की धारा 471 के आरोप में दो वर्ष के कारावास एवं मु० 5000/- (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

WWW.LIVELAW.IN

जांच एवं विचारण के दौरान दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा जेल में बिताई गई अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्ध अपराधीगण की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

दोषसिद्ध अपराधीगण का दोषसिद्धि वारण्ट बनाकर उनके सजा भुगतने हेतु जिला कारागार फैजाबाद भेजा जाय।

निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अपराधीगण को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाय।

(पूजा सिंह)

दिनांक–18–10–2021 विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–3
फैजाबाद।

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित, दिनाँकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूजा सिंह)

दिनांक–18–10–2021 विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–3
फैजाबाद।

Digitally signed by Pooja Singh
Date: 2021.10.18 16:37:47 IST
Reason: Judgement Uploading
Location: District and Sessions Court